निरीक्षण आख्या प्राचार्य, राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग–प्रथम

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार के अवधि 11/2012 से 05/2016 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखा परीक्षक द्वारा श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 17.06.2016 से 23.06.2016 के मध्य सम्पादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(अ) परिचयात्मक : इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय बहुगुणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एस0 के0 डंग, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 01.11.2012 से 08.11.2012 तक श्री आर0 एस0 नेगी, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह 08/2006 से 10/2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 11/2012 से 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

उक्त अवधि में निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री एम0 एस0 सजवाण	2012 से लगातार
2	श्री एस0 सी0 डोभाल	01.04.13 से 31.08.13
3	श्री आर0 के0 वर्मा	01.09.13 से 20.04.15
4	श्री ए0 के0 त्रिपाठी	21.04.15 से 03.10.15
5	श्री अभिषेक त्रिपाठी	08.12.15 से 16.02.15
6	श्री मनमोहन कुडियाल	17.02.16 से लगातार

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः–

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो–अ	भाग दो–ब	**STAN**
22/1991–92	–	–	4
14/1994–95	1	–	–
10/1998–99	–	1 (अ,ब,स)	–
07/2000–01	–	5	–
63/2012–13	1	1	–

(ब) सतत् अनियमिततायेंः – शून्य–

(स) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित): –शून्य–

(द) 2.बजटः –

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आयोजनेत्तर		आयोजनागत		सर्मपण/अवशेष	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आयोजनेत्तर	आयोजनागत
2013.14	198.92	190.39	117.74	113.51	8.44	4.22
2014.15	253.32	233.90	177.81	169.84	19.41	7.96
2015.16	253.89	238.03	207.85	201.99	15.86	5.85
2016–17 (05/16तक)	56.38	40.33	67.49	51.85	16.04	15.64
योग	762.52	702.65	570.89	537.20	59.77	33.69

भाग 2 अ

प्रस्तर 1 :–परीक्षा शुल्क की धनराशि ` 5.49 लाख का लेखा जोखा न रखना तथा जमा न किया जाना।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा आयोजित परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त राशियों को परीक्षा में व्यय करने के पश्चात अवशेष राशियों को खाते में जमा किया जाता है। इकाई द्वारा इसके रख रखाव के लिये भारतीय स्टेट बैंक में खाता संख्या 85285742762 संचालित किया जा रहा है।

इकाई की परीक्षा शुल्क से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2014 से मई 2016 तक कुल 15814 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था। इकाई द्वारा इन छात्रों से परीक्षा शुल्क के रूप में कुल ` 3445255 की धनराशि प्राप्त की गयी थी। प्राप्त धनराशि के सापेक्ष परीक्षाओं पर व्यय की गयी धनराशि ` 1784625 तथा परिषद में जमा धनराशि ` 1110735 (` 270075 ड्राफ्ट एवं ` 840660 बैक जमा) थी। वर्षवार विवरण निम्नवत है।

वर्ष	कुल छात्रों की संख्या	कुल प्राप्त फीस	परीक्षा में व्यय की गयी धनराशि	प्राप्त फीस की धनराशि के सापेक्ष जमा धनराशि	अवशेष धनराशि
2014	5226	629155	489600	–	139555
2015	9684	2614955	1231378	270075	1113502
2016 (मई 2016 तक)	904	201145	63647	840660	–703162
योग	15814	3445255	1784625	1110735	549895

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2014 में परीक्षा शुल्क की अवशेष धनराशि ` 139555 को जमा नहीं किया गया था एवं 2015 में अवशेष धनराशि ` 1113502 के सापेक्ष मात्र ` 270075 की धनराशि ड्राफ्ट के रूप में जमा की गयी थी। अवशेष धनराशि 2 वर्षो तक न तो खातें में जमा की गयी और न ही इसका कोई लेखा जोखा ही रखा गया। दिनांक 20.05.16 से 18.06.16 तक लगभग 2 वर्ष पश्चात ` 840660 की धनराशि जिसका विवरण निम्नवत है, भारतीय स्टेट बैंक में संचालित खाते में जमा की गयी थी तथा अवशेष धनराशि ` 549895 को अद्यतन (जून/2016 तक) न तो जमा ही किया गया और न ही इसका कहीं लेखा जोखा रखा गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इकाई में परिषद से सम्बन्धित रोकड बही का रखरखाव दिनांक 17.10.2013 तक ही किया गया था तथा इसके पश्चात रोकड़ बही नहीं बनायी गयी थी तथा परीक्षा से सम्बन्धित प्राप्तियां एवं व्यय को रोकड़ बहीं में इन्द्राज किये बिना ही किया जा रहा था।

दिनांक	जमा की गयी राशि
20.05.16	45000
23.05.16	11607
24.05.16	49000
25.05.16	49000
26.05.16	49000
27.05.16	49000
30.05.16	49000

31.05.16	49000
01.06.16	49000
02.06.16	49000
06.06.16	49000
07.06.16	49000
09.06.16	49000
10.06.16	49000
13.06.16	49000
15.06.16	49000
16.06.16	49000
18.06.16	49000
योग	840660

उपरोक्त से स्पष्ट है कि इकाई के पास वर्ष 2014 एवं 2015 की परीक्षा शुल्क में अवशेष पड़ी धनराशि ` 1390555 में से ` 840660 की धनराशि दो वर्ष के पश्चात अर्थात माह जून/2016 में जमा की गयी थी। यह धनराशि दो वर्ष तक कहां रखी गयी थी इसका भी कोई लेखा जोखा नहीं था। परीक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि में से परीक्षाओं पर व्यय की गयी धनराशि तथा खाते में जमा की गयी धनराशि के उपरान्त ` 5,49,895 की धनराशि को कोई लेखा जोखा नहीं था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति को स्वीकारते हुए उत्तर में बताया कि रोकड़ बहीं का रख–रखाव किया जायेगा एवं परीक्षा शुल्क को जमा न करने से सम्बन्धित प्रकरण की विस्तृत जांच कर उचित कार्यवाही की जायेगी एवं कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः परीक्षा शुल्क की धनराशि ` 5.49 लाख का लेखा जोखा न रखने तथा जमा न किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 1 : ` 566.00 लाख धनराशि एफडी के रूप में विगत 4 वर्षों से अवरूद्ध रखा जाा तथा छात्र–छात्राओं को आईटीआई के उच्चीकरण से मिलने वाले लाभ से वंचित रखने का प्रकरण है।

भारत सरकार के पत्र संख्या–डी0जी0ई0टी0–35 (1396)/उत्तराखण्ड 2011–एन0आई0सी0 दिनांक 13.07.2012, डी0जी0ई0टी0–35 (1396)/उत्तराखण्ड 2011–एन0आई0सी0 (4) दिनांक 01.03.2012, एवं डी0जी0ई0टी0–35 (1396)/उत्तराखण्ड/आई0टी0आई0 डेलना/2011–एन0आई0सी0 दिनांक 14.06.2011, के द्वारा क्रमशः ` 250 लाख, ` 250 लाख एवं ` 250 लाख कुल 750 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्राप्त हुई थी। इस धनराशि आई.टी.आई. का उच्चीकरण किया जाना था, यह कार्य पीपीपी मोड के अंतर्गत किया जाना था। इस धनराशि के प्राप्त होने के पश्चात 2 वर्ष के अन्दर एनसीवीटी से नये कोर्स का पंजीकरण कराना था। इसके लिए आईटीआई खानपुर ` 250 लाख, आईटीआई नारसन ` 250 लाख, आईटीआई डेलना ` 250 लाख के समझौता ज्ञापन तैयार किये गये थे। समझौता ज्ञापन/अनुबंध की निम्नलिखित शर्तों के अनुसार ही धनराशि का उपयोग किया जाना था। (1) 25 प्रतिशतः सिविल निर्माण कार्य। (2) मशीनों एवं यंत्रों की खरीद की जानी। (3) ऐसे कार्यो में ही धनराशि का उपयोग किया जाना था, जिनका सीधा सम्बन्ध प्रशिक्षण का उच्चीकरण करने से हो। (4) यदि अनुबंध की शर्तों से अलग उद्देश्य के लिये धनराशि का उपयोग करना हो तो पृथक से भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी थी। इस धनराशि से कोई स्टोक्स, बॉण्ड या कोई प्रतिभूति के रूप में उपयोग नहीं किया जाना था। अनुबंध का पालन नहीं होने पर प्रकरण भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संज्ञान में लाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 4 वर्ष बीत जाने पर भी आई.टी.आई. खानपुर, आई.टी.आई नारसन के कार्यों में कोई प्रगति नहीं थी। ` 450.00 लाख की एफडी कर दी गयी थी। आईटीआई डेलना में कुछ कार्य हुए थे इनकी प्रगति भी संतोषजनक नहीं थी क्योंकि ` 116.00 लाख की एफडी थी तथा ` 134.00 लाख धनराशि उपयोग हुई थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया की, एफडी इसलिए की गयी है जिससे की ब्याज अर्जित किया जा सके, आई एम सी की मीटिंग समय–समय पर होती है पर बार–बार चैयरमैन बदलने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पती है। 4 वर्ष बाद भी अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं होने के संदर्भ में बताया गया कि नये अनुबंध की कार्यवाही गतिमान है। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि आइटीआई का उच्चीकरण नहीं होने से छात्र–छात्रायें रोजगारपरख प्रशिक्षण से वंचित थे तथा ` 566.00 लाख की धनराशि को एफडी के रूप में अवरूद्ध रखा गया था। अतः ` 566.00 लाख धनराशि एफडी के रूप में विगत 4 वर्षों से अवरूद्ध रखा जाना तथा छात्र–छात्राओं को आईटीआई के उच्चीकरण से मिलने व लाभ से वंचित रखने का प्रकरण शासन एवं उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 2 : ` 41.36 लाख की राशि का अपवर्जन एवं ` 1.26 लाख ब्याज की राशि का जमा न किया जाना।

शासनादेश सं0 223/XLI-1/2015–51 (प्रशि.)/2015 दिनांक 26 मार्च 2015 के अनुसार नवसृजित 23 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु नाबार्ड से वित्त पोषण के उपरान्त वर्ष 2014–15 में तकनीकी परीक्षणोपरान्त ` 5909.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा इसके सापेक्ष प्रथम किस्त के रुप मे ` 1772.86 लाख की धनराशि आवंटित की गयी हैं। इस निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को चयनित किया गया है।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उपरोक्त शासनादेश के संलग्नक में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लालढांग का न तो उल्लेख है और न ही मूल आगणन की कुल लागत या टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत आगणन की धनराशि ही उल्लेखित हैं। पत्रांक सं04842–56/डीटीईयू/0202/भवन 4216 /2014–15/दिनांक 28 मार्च 2015 के अनुसार संलग्नक में उल्लेखित एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के कारण सितारगंज संस्थान के स्थान पर लालढांग संस्थान को योजनान्तर्गत आच्छादित करने के लिए शासन के प्रस्ताव की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यदायी संस्था को पत्रांक 6088–6113 डीटीईयू/0202/भवन 4216 /2014–15/दिनांक 30 मार्च 2015 के द्वारा ` 41.36 लाख की धनराशि प्रथम किस्त के रुप में आवंटित की गयी है। यह धनराशि इस प्रतिबंध के अधीन आवंटित की गयी है कि कार्य प्रारम्भ किये जाने तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना आवश्यक है किन्तु लेखा परीक्षा तिथि तक कार्यदायी संस्था द्वारा न तो उक्त कार्य प्रारम्भ ही किया गया एवं ना ही उक्त राशि पर प्राप्त ब्याज की राशि ` 1.26 लाख को राजकोष में जमा ही किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा उठाई गयी आपत्तियों को स्वीकारते हुए विभाग ने उत्तर में बताया कि सितारगंज संस्थान के स्थान पर लालडंग संस्थान को आच्छादित करने के लिए शासन से स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यदायी संस्था द्वारा अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है एवं उक्त राशि पर प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा करा लिया जायेगा।

अतः ` 41.36 लाख की राशि का अपवर्जन एवं ` 1.26 लाख ब्याज की राशि का जमा न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 3 : काशनमनी की राशि ` 0.61 लाख को प्रशिक्षणार्थियों को वापस न किया जाना एवं बैंक खाते में ` 4100 का अन्तर पाया जाना।

इकाई में प्रवेश के समय समस्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क के अतिरिक्त ` 50 काशनमनी के रूप में जमा करनी होती है जो प्रशिक्षण की संतोषजनक समाप्ति पर सरकारी देय यदि कोई हो की कटौती के बाद वापस कर दी जायेगी।

इकाई में काशनमनी से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाच में पाया गया कि इसके रखरखाव के लिए इलाहाबाद बैंक में खाता संख्या 20342044202 संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 से वर्ष 2015–16 तक क्रमशः 388, 440 एवं 411 प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया गया तथा काशनमनी के रूप में क्रमशः ` 19400, रू0 22000 एवं ` 20550 वसूल की गयी। विवरण निम्नवत है।

इकाई का नाम	कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या					
	2013–14		2014–15		2015–16	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
आई.टी.आई. हरिद्वार	308	15400	330	16500	271	13550
आई.टी.आई. नारसन	16	800	19	950	19	950
आई.टी.आई. खानपुर	48	2400	7	350	49	2450
आई.टी.आई. लक्सर	–	–	19	950	–	–
आई.टी.आई. लालढांग	–	–	31	1550	32	1600
आई.टी.आई. डेलना	16	800	34	1700	40	2000
योग	388	19400	440	22000	411	20550

संचालित खातें में 11 मार्च 2013 को कुल 174337 की धनराशि जमा थी तथा माह, मार्च 2013 से मई 2016 तक बैंक द्वारा दी गयी कुल ब्याज की धनराशि ` 27905 दर्शायी गयी है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 से वर्ष 2015–16 तक ` 61950 की धनराशि काशनमनी के रूप में ली गयी है। अतः मई 2016 में इस खाते में कुल जमा 264192 (174337+27905+61950) होनी चाहिए जबकि पास बुक में कुल धनराशि ` 268292 जमा दर्शायी गयी है। अर्थात ` 4100 का अन्तर है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि प्रशिक्षणार्थियों की मांग पर काशनमनी की धनराशि वापस कर दी जायेगी एवं बैंक खाते में अन्तर के सम्बन्ध में बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा काशनमनी के खाते का सही रख–रखाव नहीं किया गया एवं प्रशिक्षणार्थियों को काशनमनी की राशि को वापस करने हेतु कोई कार्यवाही ही की गयी।

अतः काशनमनी की राशि ` 0.61 लाख को प्रशिक्षणार्थियों को वापस न किया जाना एवं खाते में ` 4100 का अन्तर पाये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 4 : ` 24.00 लाख का अनियमित व्यय।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में भारत सरकार के सहयोग से संचालित वोकेशन ट्रेनिंग इम्प्लीमेन्टेशन प्रोजेक्ट (75 प्रतिशत केन्द्र पूरोनिधानित योजना) के अन्तर्गत चयनित राजकीय औद्योगित प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार के भवन निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा ` 42.43 लाख का आगणन के सापेक्ष रू0 24.00 लाख की धनराशि शासनादेश सं0 354 दिनांक 24.12.13 एवं पत्रांक सं0 217/डीटीईयू/0202/लेखा/के0पो0/2013–14 दिनांक 18.01.2014 आबंटित की गयी थी जिसमें एक कार्यशाला एवं 03 कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाना था। यह धनराशि निम्न प्रतिबन्धों एवं निर्देशों के अधीन स्वीकृत की गयी थी कि निर्माण कार्य हेतु व्यय करने से पूर्व आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं वित्तीय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति नियमानुसार प्राप्त कर ली जायेगी।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इस भवन निर्माण का आगणन/परीक्षण एवं प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित कोई अभिलेख पत्रावलियों में नहीं पाये गये। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत की गयी माह मई 2015 की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण में आबंटित धनराशि का उपयोग कर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर हस्तगत दर्शाया गया है किन्तु भवन हस्तगत होने के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख इकाई के पास उपलब्ध नहीं है। कार्यदायी संस्था के साथ कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई समझौता ज्ञापन भी नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि आगणन/परीक्षण एवं प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर लिये जायेंगे। कार्यशाला के हस्तगत संबंधी कार्यवाही गतिमान है। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यदायी संस्था के साथ कोई समझौता ज्ञापन नहीं किया गया।

विभाग का उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि शासन के निर्देशानुसार भवन निर्माण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख, आगणन/परीक्षण एवं प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख, कार्यदायी संस्था के साथ किये गये समझौता ज्ञापन एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट इत्यादि की प्रति एवं हस्तगत रिर्पोट इकाई के पास होनी चाहिए जोकि विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। भवन हस्तगत किये जाने एवं समझौता ज्ञापन के सम्बन्ध में बताया गया कि भवन अभी हस्तगत नहीं किया गया है एवं कार्यदायी संस्था के साथ कोई भी समझौता ज्ञापन नहीं किया गया है।

अतः भवन निर्माण पर किया गया व्यय ` 24.00 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 5 :– ` 9.06 लाख की राशि से छात्रों का वंचित रहना एवं विभागीय मद की छात्रवृत्ति की राशि ` 0.40 लाख को वितरित न किया जाना।

समाज कल्याण विभाग द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि छात्रवृत्ति के लिये पात्र छात्रों का आवेदन/पंजीकरण आनलाइन किया जाये जिससे कि उनकी छात्रवृत्ति की धनराशि खातों में आनलाइन जमा कर दी जाये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मापदण्ड/दरों के अनुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को ` 2300/– प्रतिवर्ष देय होगी। व्यावसायिक परीक्षा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा यह भी निर्देशित है कि संस्थानों में प्रशिक्षणरत सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग के 10 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को विभागीय बजट से ` 40 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी।

इकाई के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक विभिन्न श्रेणियों में क्रमशः 127, 114 एवं 153 छात्र समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवत्ति के लिये पात्र थे। विवरण निम्नवत है।

वर्ष	पात्र छात्रों की संख्या			
	अनु0 जाति	अनु0जन0जाति0	विकलांग	योग
2013–14	115	10	2	127
2014–15	102	6	6	114
2015–16	142	7	4	153
योग	359	23	12	394
	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग		योग
2013–14	122	139		261
2014–15	171	155		326
2015–16	132	126		258
योग	425	420		845

उपरोक्त विवरण के अनुसार इकाई द्वारा कुल पात्र 394 छात्रों का इकाई द्वारा पंजीकरण नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप समाज कल्याण विभाग से ` 9,06,200 (2300X394) की मांग नहीं की गयी। इकाई की इस चूक के कारण पात्र छात्र इस लाभ से वंचित रह गये। आगे यह भी पाया गया कि संस्थान में उपरोक्त वर्षो में सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग में कुल 845 छात्रों का प्रवेश किया गया है जिसके 10 प्रतिशत अर्थात 85 छात्रों को ` 40 प्रतिमाह की दर से कुल ` 40,800 की छात्रवृत्ति वितरित की जानी थी जो इकाई द्वारा नहीं की गयी। जबकि इकाई के बी0एम0 8 के अनुसार संस्थान द्वारा वर्ष 2013–14 से छात्रवृत्ति मद में कुल ` 7000 की धनराशि का समर्पण दर्शाया गया है।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि समाज कल्याण विभाग से पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में छात्रों का पंजीकरण किया जायेगा एवं संस्थान के मद से छात्रवृत्ति के रूप में आबंटित राशि को छात्रों को वितरित किया जायेगा साथ ही बजट की मांग निदेशालय से की जायेगी।

अतः समाज कल्याण विभाग से पंजीकरण न कराये जाने के कारण ` 9.06 लाख की राशि से छात्रों का वंचित रहना एवं विभागीय मद की छात्रवृत्ति की राशि ` 0.40 लाख को वितरित न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 6 : ` 3.17 लाख संस्था की उदासीनता के कारण कर्मचारियों की नियोक्ता अंशदान से वंचित रहना।

अंशदाई पेंशन योजना का शून्य आरम्भ दिनांक 11.01.2004 को केन्द्र में लागू हुआ उत्तराखण्ड में माह अक्टूबर 2005 से लागू किया गया। इसके बाद में नियोक्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से Pay+GP+DA का 10 प्रतिशत भाग अंश के रूप में लिये जाने का प्रावधान है इतनी ही धनराशि नियोक्ता द्वारा दिया जाना था। अंशदाई पेंशन की बेलन से कटौती नियुक्ति तिथि से एक के बाद लिया जाना था। अभिलेखों की नमूना जांच करने पर यह देखा गया की अधिकारियों/कर्मचारियों की बेलन से अंश की कटौती 3 माह से 14 माह विलम्ब से की गई जिसके कारण नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाला अंशदान ` 3.17 लाख से वंचित रहना पड़ा। इस ओर इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में यह बताया की Pran No. ट्रेजरी द्वारा मंगाया जाता है नम्बर ना आने के कारण कटौती नहीं किया जा सकता।

उत्तर मान्य नहीं है वेतन से कटौती नियुक्ति तिथि के एक माह बाद से प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए। अतः ` 3.17 लाख का संस्था के उदासीनता के कारण नियोक्ता अंश्दान से वंचित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 7 : ` 2.98 लाख की निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी न किया जाना।

वित्तीय हस्पुस्तिका के अनुसार सामग्रियों का प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन किया जाना एवं निष्प्रयोज्य सामग्रियों की सूची तैयार कर उसके निस्तारण/निलामी किया जाना अनिवार्य है।

प्रधानाचार्य राजकीय आई.टी.आई., हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विगत कई वर्षों से नीलामी हेतु कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण ` 2.98 लाख के उपकरण भण्डार में पड़े थे।

इस ओर इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि जिलाधिकारी महोदय, की अध्यक्षता में कार्यवाही गतिमान है। उत्तर मान्य नहीं है नीलामी की कार्यवाही तीन से चार वर्ष में कर दिया जाना चाहिए।

अतः ` 2.98 लाख की निष्प्रयोज्य सामग्रियों के नीलामी न करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निरकारण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से प्राचार्य, राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)